

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 20 / 2022

GCMS NO. : 2022 / 82

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

श्रीमती गीता सोगरा पत्नि पी.सी सोगरा,
वार्ड नं.19, सेक्टर नं.08, अगरपुरा, ^{बंगाम}
बांसवाड़ा (राज.)
मो.नं. 9414725831

कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा

निर्णय


अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005


दिनांक :- 23-12-2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 29.06.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा अस्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 31-11-2022 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

अपीलार्थी को जारी सूचना पत्र दिनांक 22.12.2022 को तामिल अथवा अदम तामिल प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रत्यर्थी की ओर से उनके पत्रांक 980 दिनांक 21.12.2022 से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 980 दिनांक 24.12.2022 के संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना एवं पत्राचार की प्रतियाँ पेश कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2022 से वांछित सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 586 दिनांक




जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)




24.07.2022 एवं पत्रांक 33 दिनांक 23.09.2022 एवं 971 दिनांक 19.12.2022 से उपलब्ध करा दी है। पत्रावली बर्दन्तजार सूचना पत्र तामिल दिनांक 23.12.2022 को पेश होने आदेश दिये गये।

अपीलार्थी को जारी सूचना पत्र दिनांक 23.12.2022 को बाद तामिल प्रस्तुत हुआ किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2022 तथा कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा पत्रांक 980 दिनांक 21.12.2022 से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना एवं पत्राचार की प्रतियों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के सन्दर्भ में कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक 586 दिनांक 24.07.2022 से सूचित किया जो अपीलार्थी को संतोष जनक नहीं लगने पर यह अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् पुनः कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक 971 दिनांक 19.12.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा) I.A.S.
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बासवाडा (राज.)